डॉ0 भीमराव अम्बेडकर का आधुनिक समाज पर प्रभाव एक ऐतिहासिक अवलोकन

बजरंग लाल मीना[1]

[1]सहायक आचार्य, इतिहास
राजकीय कन्या महाविद्यालय, नादौती

प्रस्तावना

आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्व के सबसे बड़े संविधान के निर्माता और ''सिम्बल ऑफ नॉलेज'' के नाम से जाना जाता है। कहते हैं 21वीं सदी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की है। उनके लोकतान्त्रिक विचारों का असर समाज में, दिन–प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आज डॉ. भीमराव अम्बेडकर का भारतीय समाज में वंचितों के सम्मान की लड़ाई शुरू करने के उनके अभूतपूर्ण योगदान के लिए, वे दलितों और पिछड़ों के लिए एक सूर्य समान हैं, जिनसे वे रोशनी, जीवन और उर्जा प्राप्त करते हैं। समय बीतने के साथ–साथ बाबासाहेब अंबेडकर के विचारों की प्रासंगिकता बढ़ती ही जा रही है। दलितों तथा गैर दलितों के बीच उनकी तरह.तरह से व्याख्या की जा रही है। अंबेडकर के विचारों के तीन प्रमुख स्रोत थे। पहला उनका अपना अनुभव, दूसरा–महात्मा ज्योतिबा फूले का सामाजिक आंदोलन तथा तीसरा–बुद्धिज्म। इन स्रोतों की जड़ में भारत की अमानवीय जाति व्यवस्था थी। डॉ. अबेडकर को भी छुआछूत तथा जातीय घृणा का शिकार होना पड़ा था, जिससे खिन्न होकर उन्होंने इसे खत्म करने का अभियान चलाया। उन्होंने जाति व्यवस्था की ईश्वरीय अवधारणा का तीखा विरोध किया और इसे मानव निर्मित बताया। इस संदर्भ में उनके महात्मा गांधी से वैचारिक मतभेद उभर कर सामने आए। गांधीजी कहते थे कि छुआछूत मानव की देन है इसलिए मानव प्रदत्त छुआछूत से तो लड़ना चाहिए, जबकि ईश्वरीय जाति व्यवस्था के विरुद्ध आवाज नहीं उठानी चाहिए। गांधीजी की इस ईश्वरीय अवधारणा के विरुद्ध अंबेडकर चट्टान की तरह खड़े हो गए। यद्यपि छुआछूत निवारण के अभियान में गांधीजी की भूमिका की अनदेखी नहीं की जा सकती, लेकिन उनकी ईश्वरीय अवधारणा की दलितों ने तीव्र आलोचना की। जाति की ईश्वरीय अवधारणा के चलते डॉ. अंबेडकर ने जाति व्यवस्था को हिंदू धर्म की प्राणवायु बताया और साफ शब्दों में कहा कि ऊंच–नीच के भेदभाव के चलते हिंदू धर्म कभी मिशनरी धर्म नहीं बन पाया, जबकि अन्य धर्म जैसे बौद्ध धर्म अनेक देशों की सीमा पार कर गए। जाति व्यवस्था विरोधी, अहिंसक तथा विश्वबुंधत्ववादी होने के कारण डॉ. अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इन्हीं कारणों से उन्होंने बौद्ध धर्म को दलितों के लिए सबसे उचित धर्म बताया। संक्षेप में डॉ. अंबेडकर का यही सामाजिक चिंतन था। संविधान के माध्यम से उन्होंने भारतीय जनतंत्र को विकासशील बनायाए जिस कारण देश की एकता मजबूत हुई।

डॉ. अंबेडकर का राजनीतिक चिंतन भी जाति व्यवस्था से उत्पन्न परिस्थितियों से प्रभावित हुआ था। वह 1920 के दशक से ही दलितों के लिए पृथक मतदान की मांग करने लगे थे। इसके पीछे उनका तर्क था कि ऐसा होने से जाति व्यवस्था के विरोध तथा दलितों के हित में काम करने वाले ही चुनकर विधानसभा तथा लोकसभा में पहुंच सकेंगे अन्यथा दलित स्थापित पार्टियों के दलाल बनकर रह जाएंगे। गांधीजी के प्रबल विरोध और आमरण अनशन के कारण पृथक मतदान की मांग वापस ले ली गईए जिसके बदले मौजूदा आरक्षण व्यवस्था लागू हुई। यह व्यवस्था पूना पैक्ट के नाम से जानी जाती है। पूना पैक्ट का सबसे अधिक प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में पड़ा। लाखों की संख्या में दलित शिक्षित होकर हर श्रेणी की नौकरियों में शामिल हुए और उन्होंने सामाजिक परिवर्तन की दिशा बदल दी। लेकिन आरक्षण नीति सही ढंग से लागू न होने के कारण दलित समाज का नुकसान भी हुआ है। डॉ. अंबेडकर की आशंका सही सिद्ध हुई। विधानसभा तथा लोकसभा में चुने हुए प्रतिनिधि दलित मुक्ति के सवाल पर नकारात्मक भूमिका में आ गए। सालों–साल चलती रही इसी भूमिका के कारण काशीराम की बहुजन समाज पार्टी का 1984 में उदय हुआ। काशीराम ने वर्तमान जनतांत्रिक प्रणाली में दलितों की भूमिका को ''चमचा युग'' बताया। इसलिए उन्होंने बसपा का जो वैचारिक आधार खड़ा किया वह डॉ. अंबेडकर की आरंभिक राजनीतिक समझ यानी 1920 तथा 30 के दशक के विचारों पर आधारित है। यही कारण है कि उनके क्रियाकलाप में राजनीतिक तीखापान अधिक झलकता है। डॉ. अंबेडकर 1920 तथा 30 के दशक में जाति व्यवस्था के विरुद्ध उग्र रूप धारण किए हुए थे। बाद में उन्होंने सत्ता में भागीदारी के माध्यम से दलित मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने की कोशिश की। काशीराम ने ''सत्ता में भागीदारी'' को ''सत्ता पर कब्जा'' में बदल दिया। इस उद्देश्य से उन्होंने नारा दिया ''अपनी–अपनी जातियों को मजबूत करो।'' इस नारे के तहत सर्वप्रथम बसपा ने विभिन्न दलित जातियों का सम्मेलन करके उन्हें अपनी तरफ आकर्षित किया। साथ ही उसने पिछड़ी जातियों को अपनी तरफ लाने की कोशिश की जिसका परिणाम था बसपा का 1993 में समाजवादी पार्टी से समझौता। दो साल बाद इस गठबंधन के टूट जाने के बाद बसपा का झुकाव भारतीय

जनता पार्टी की तरफ बढ़ा तथा उसके सहयोग से मायावती तीन बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनीं। किंतु 2007 में उत्तर प्रदेश के पिछले आम चुनाव में मायावती के नेतृत्व में बसपा ने दलित–ब्राह्मण एकता के नारे के साथ बहुमत हासिल कर लिया। यह बहुमत प्रचंड जातीय ध्रुवीकरण के आधार पर मिला था। वैसे भी भारतीय चुनाव प्रणाली में हमेशा जातीय, क्षेत्रीय और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण आम प्रक्रिया का हिस्सा रही है। किंतु मंडल कमीशन के लागू होने के बाद जातीय ध्रुवीकरण बेहद उग्र रूप में जनता के समक्ष आया है। उत्तर प्रदेश में इस ध्रुवीकरण से बसपा को सबसे अधिक फायदा पहुंचा है, जिस कारण वह सत्ताधारी पार्टी बन गई।

इस संदर्भ में एक गंभीर सवाल यह उठता है कि जातीय ध्रुवीकरण के आधार पर चुनाव जीत कर सत्ताधारी तो बना जा सकता है, किंतु डॉ. अंबेडकर की जाति–उन्मूलन की विचारधारा को मूर्त रूप नहीं दिया जा सकता। बुद्ध से लेकर अंबेडकर तक ने जाति–विहीन समाज में ही दलित मुक्ति की कल्पना की थी, किंतु आज का भारतीय जनतंत्र पूर्णरूपेण जातीय, क्षेत्रीय एवं सांप्रदायिक जनतंत्र में बदल चुका है। ऐसा जनतंत्र राष्ट्रीय एकता के लिए वास्तविक खतरा है। डॉ. अंबेडकर की उक्ति जातिविहीन समाज की स्थापना के बिना स्वराज प्राप्ति का कोई महत्व नहींए आज भी विचारणीय है। धर्म का समाजशास्त्र बृहत्तर विज्ञान समाजशास्त्र की एक शाखा है जो कि सामाजिक संदर्भ में धर्म का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र की इस शाखा का विकास बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में हुआ था। इससे संबंधित विचार यूरोपियन विद्वानों के मस्तिक की उपज थी, जिसका पूर्ण विकास अमेरिकन पर्यावरण में हुआ है परन्तु इस विकास के दौरान मूल विचारों में अनेक परिवर्तन व परिवर्द्धन होते रहे हैं। स्मरण रहे कि धर्म का संबंध किसी न किसी प्रकार की अलौकिक शक्ति के कार्य–कलापों से था उसके चमत्कारों का अध्ययन नहीं है अपितु धर्म का सामाजिक जीवन में क्या स्थान है, इस बात का वैज्ञानिक अध्ययन करना ही धर्म के समाजशास्त्र का वास्तविक कार्य है। धर्म का समाजशास्त्र के प्रति हमारे कुसंस्कार या अन्धविश्वासयुक्त दृष्टिकोण को वैज्ञानिक आधारों पर प्रतिष्ठित करने का प्रयास करता है जिससे कि धर्म के संबंध में कुछ वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो सके और उस ज्ञान का प्रयोग समाज के लोग अपने सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति या समस्याओं को हल करने में कर सकें। उक्त मापदण्डों के आधार पर डॉ. अम्बेडकर ने धर्म के समाजशास्त्र के चिन्तन की नीव रखी। धर्म को मानव समाज के लिए अनिवार्य मानते थे परन्तु "जो धर्म मनुष्यों में भेद करता हो, जो करोड़ों धर्मावलंबियों से कुत्ते तथा अपराधियों की तरह दुर्व्यवहार करता हो तथा असहनीय अयोग्यताएं उन पर थोपता हो उसे वह धर्म नहीं मानते थे। धर्म कभी भी अन्याय व्यवस्था नहीं करता तथा धर्म तथा गुलामी कभी साथ–साथ नहीं चलते यदि तुम कहो कि तुम्हारा धर्म है तो हमारे अधिकार और हम समान हो। पर क्या मामला ऐसा है? यदि नहीं, तो किसी आधार पर तुम कहते हो कि हम हिन्दू बने रहे, बावजूद इसके कि तुम्हें ठोकरे मारी जाये" ऐसा डॉ. अम्बेडकर दलितों से कहते थे। मैं तुम्हें बताता हूँ, धर्म आदमी के लिए है न कि आदमी धर्म के लिए। यदि तुम इस विश्व में संगठित रहना चाहते हो, बने रहना चाहते हो तथा सफल होना चाहते हो तो हिन्दू धर्म बदल दो। धर्म, जो तुम्हें मानव के रूप में पहचान नहीं देता, जो पीने का पानी नहीं देता, मंदिर में घुसने नही देता, वह धर्म नहीं सजा है। जो धर्म तुम्हें शिक्षित होने से रोकता है और तो भौतिक विकास करने से रोकता है, वह किसी भी लायक नहीं। जो धर्म अपने अनुयायिओं मानवता का व्यवहार करने अपने सधर्मियों के साथ नहीं पहुँचता तो वह धर्म नहीं शक्ति का प्रदर्शन है, जो धर्म अपने अनुकरण कर्ताओं को दुखी करता है, पशुओं को स्पर्श तथा मनुष्य को अस्पृश्य बताता है वह धर्म नहीं मानव उपहास है। जो धर्म कुछ वर्गों को शिक्षा, धन उपार्जन का निषेध, रक्षा कवच न रखने को आज्ञा देता है, जो धर्म अज्ञान को अज्ञान रहने को बाध्य करता है और गरीब को और गरीब, वह धर्म नहीं वह तो मात्र दिखावा हैं। हिन्दू धर्म को परिवर्तन करने का मन बना लिया।

1. **मैने अपना धर्म बदलने का मन बना लिया है:** अभी हमने यह तय नहीं किया है कि हम कौन सा धर्म अपनाऐगे, उनउपायों पर भी विचार नहीं किया है, जो हम ग्रहण करेगे, परन्तु जो बात हम भली–भांति तय कर चुके हैं, वह यह है कि हिन्दू हमारे लिए हितकारी नहीं हैं। यह बक्तव्य डॉ. अम्बेडकर ने ऐसोसियेटेड प्रेस के प्रतिनिधि द्वारा उनके नासिक भाषण पर गांधी जो की टिप्पणी बताये जाने पर दिया। 'असमानता', उन्होंने कह, "इसका प्रमुख आधार है और इसका नीतिशास्त्र ऐसा है कि दलित वर्गो को उनकी समग्रह मानवता कभी नहीं प्राप्त हो सकती। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि मैने झुंझलाहट में या दलित वर्गों के साथ कविठो या अन्य किसी स्थान पर हुए अत्याचार के विरूद्ध शेष में यह किया। यह बहुत गहराई से सोचा हुआ निर्णय है मै गांधी जी की इस बात से सहमत हूँ कि धर्म आवश्यक है, परन्तु इस बात से सहमत नहीं हूँ कि आदमी यह जानने के बाद भी उस पैतृक धर्म को अपनाये रहे कि वह इसके उन धार्मिक विश्वासों के सर्वथा विरूद्ध है, जिनकी उसे अपने निजी आचार–विचार के निर्धारण के लिए आवश्यकता है और जो उसकी प्रगति तथा कल्याण का प्रेरणाश्रोत है।
2. **धर्मान्तरण में हरिजनों के अधिकार प्रभावित नहीं:** "डॉअम्बेडकर ने धोषणा की, कि पूना समझौते के अर्न्तगत दलित वर्गो को जो राजनैतिक सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, वे उनके द्वारा हिन्दू धर्म छोड़ने की स्थिति में समरत नहीं होगी। उनका मानना है कि उन्हें तथा उनकी पार्टी को चुनाव लड़ने से भयभीत करने के लिए यह कांग्रेसियों का राजनीतिक हथकाण्डा है।"
3. **धर्मान्तरण की आवश्यकता:** "हमारी सभा विशेष रूप से बम्बई महा प्रान्तीय महार सम्मेलन द्वारा पारित किए गये धर्मान्तरण संबंधित प्रस्तावों का आप लोगों को स्मरण कराने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। अतः यदि किसी

को धर्मान्तरण विषय में कोई संदेह है तो निश्चित रूप से उसे पूछ लेना चाहिए।" जब कोई भी प्रश्न पूछने नहीं आया तो डॉ. अम्बेडकर ने अपना भाषण जारी किया। उन्होंने कहा, "प्यारे भाइयों और बहिनों, मै इस सभा में भाग लेने वाला नहीं था। परन्तु मुझे मालूम हुआ कि कुछ लोग ऐसे है, जो प्राचीन परम्पराओं से चिपके है और धर्मान्तरण संबंधी उस प्रस्ताव को पूरी तर कार्यान्वित नहीं करते है जो महार सम्मेलन में पारित हुआ था। इसलिए में ऐसे लोगों की शंकाऐं दूर करने के लिए यहां आया हूँ। मै बहुत पहले इस विषय पर अनके बार अपने विचार व्यक्त कर चुका हूँ। मै बहुत पहले इस विषय पर अनेक बार अपने विचार व्यक्त कर चुका हूँ। अतः वास्तव में आपकों अपने दिमागों में कोई भी शंका नहीं रखनी चाहिए 1935 में जो बम्बई महाप्रान्तीय महार सम्मेलन आयोजित हुआ था वह महार समुदाय के इतिहास में स्वर्ण अच्छरों में लिखे जाने योग्य हैं। इसलिए उस सम्मेलन द्वारा पारित किए गये प्रस्तावों का वस्तुतः सम्पूर्ण महार समुदाय को पालन करना होगा और महार समुदाय के सदस्यों को बहुमत से उन प्रसतावों को कार्यान्वित करना होगा।" डॉ. अम्बेडकर ने कहा, "हमें उन सभी धार्मिक त्योहारों और दिवसों को मानना छोड़ देना चाहिए जिन्हें उन सभी धार्मिक त्योहारों और दिवसों को मानाा छोड़ देना चाहिए जिन्हें हिन्दू धर्म के अनुसार मनाते आयें हैं।" उन्होने अपने भाषण के अन्त में कहा कि, "कुछ लोगों की यह राय है। कि धर्मान्तरण की लहर अब शान्त हो गई है। किन्तु ऐसा नहीं हे, धर्मान्तरण अवश्य किया जाता है यह अच्छी तरह समझते कि इस आन्दोलन को समाप्त नहीं किया है। बहुत से हिन्दू मुझ से कहते है कि आपके धर्मान्तरण आन्दोलन से परिणाम स्वरूप हमारी आंखे खुल गई है। अब हम इतने जागरूक हो गये है कि अपके प्रति अपने कर्तव्य में अब असफल नही होंगे इसलिए आप अपने धर्मान्तरण आन्दोलन को वापिस ले लो। परन्तु मै उन्ही कारणों से इस आन्दोलन को वापिस लेने के लिए तैयार नहीं हूँ जिन्हें मैं अब बता चुका हूँ अच्छी तरह से सोचो, जो नया धर्म ग्रहण करना है, वह केवल सूक्ष्म परीक्षण के बाद ही ग्रहण किया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि इसके बाद महार रामुदाय के सभी सदस्य उस पद्वति से कार्य करेगे जो महार सम्मेलन में तय किया गया।

4. **अनुसूचित जातियाँ हिन्दू धर्म छोड़ दें:** यह डॉ. अम्बेडकर की दृढ़ धारणा थी जिसकों (दि फ्री प्रेस जप्रल, दिनांक 1 फरवरी, 1944) में प्रकाशित किया।

हिन्दू धर्म दुखों का मूलः

डॉ. अम्बेडकर ने लोगों से दो हजार वर्षों के लम्बे समय से उनके दुखों के कारण पर विचार करने को कहा। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसका मुख्य कारण हिन्दू धर्म है। दुनिया के तमाम धर्मों में सिर्फ हिन्दू धर्म ही है, जो जाति, भेद और अस्पृश्यता को मानता है। सवर्ण हिन्दुओं द्वारा अनुसूचित जातियों पर होने वाले सम्पूर्ण अन्यायों का यही एक आधार है। उन्होंने दुख के साथ कहा कि आज भी स्थिति यह है कि गाँवों में वे आत्मसम्मान के साथ जी नहीं सकतें इसलिए उन्होंने अपना दृढ़ मत दुहराया कि उन्हें धर्म छोड़ देना चाहिए तथा लम्बे समय तक अपमान का जीवन जीने से इन्कार कर देना चाहिए। उन्हें जिस चीज से सर्वाधिक आक्रान्त है, वह यह है कि उनका समुदाय अभी भी अपमान की स्थिति को स्वीकार किये हुए है, और ऐसा इसलिए है, क्योंकि स्वर्ण हिन्दुओं ने उनको इतना अधिक दबाया है कि उनका आत्मसम्मान समाप्त हो गया है। उन्होंने लोगों से अपनी निजी शक्ति पर भरोशा करने और उस धारणा पीछा छुड़ाने का आह्वान किया जो दूसरे समुदाय से किसी भी प्रकार से उन्हें हीन बनाये हुए हैं।

हरिजनों से भी अनुसरण करने की अपील (बारह धर्मदीक्षाएं आज दिल्ली में 'भारत' दिनांक 3 मई 1950) हमने विशेष प्रतिनिधि द्वारा आज रात राजधानी में सम्पूर्ण दक्षिण–पूर्व एशिया में विशाल राष्ट्रीय महत्व और हित की प्रभावशाली घटना उस समय घटित हुई। जब भारत के विधिमंत्री डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध की त्रिपक्षीय समारोह में विशाल सभा में बोलते हुए छः करोड़ हरिजनों से बौद्ध धर्म ग्रहण करने का आह्वान किया। बाद में, डॉ. अम्बेडकर ने 'भारत' के प्रतिनिधि को बताया कि बौद्ध धर्म अपनाने वाले है, सभी में श्रीमती अम्बेडकर भी उपस्थित थी। यह भी अधिकृत रूप से पता चला हैं कि ऐसे ही निर्देश सम्पूर्ण भारत में डॉ. अम्बेडकर के अनुयायियों को भेजे गये है। कल वास्तव में भगवान बुद्ध के जन्म, निर्वाण और मुत्यु का दिवस था। डॉ. अम्बेडकर ने कल सीनीय बिहल मे जाकर भगबान बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। प्रधान बौद्ध भिक्षू के अनुसार डॉ. अम्बेडकर ने प्रार्थना की 'बुद्धम् शरणंम् गच्छामि धर्मम् शरणम् गच्छामि संघम् शरणंम् गच्छामि। 'उन्होंने बौद्ध धर्म के पाँच सिद्धांतों (पंचशील) को भी स्वीकार किया और सामान्यतः सभी की व्याख्या की।

बौद्ध पुनर्जागरण :

एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु ने जो उस समय उपस्थित थे। जब डॉअम्बेडकर अपना भाषण दे रहे थे कहा कि भारत ने अब स्वतत्रता प्राप्त कर ली है। अतः बौद्ध धर्म को अपनी भूमि पर आना चाहिए। भारत में साम्भव्य बौद्ध पुनर्जागरण के राजनैतिक महत्व पर बल देते हुए उन्होंने घोषणा की कि भारत को अपनी स्वतंत्रता और आध्यात्मिक शक्ति की रक्षा के लिए बौद्ध धर्म की आवश्यकता हैं। डॉ. अम्बेडकर ने, शुद्ध हिन्दी में अपने तीस मिनट के भाषण में, दावे के साथ कहा कि भारत में बौद्ध पुर्नजागरण एक बार हो चुका है। उन्होंने इस दावे का समर्थन यह बताकर किया कि गणतंत्र के राष्ट्रपति

के पास स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र बौद्ध धर्म से ही पहुँचा है, 'ब्राह्मन धर्म' से कुछ भी प्राप्त नहीं किया है। बौद्ध धर्म पुनः गणराज्य के सामने तीन शेरों के प्रतिक के रूप में आया और जब गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति को शपथ दिलायी गयी तो उस ऐतिहासिक अवसर पर ही हिन्दू देवी–देवता की प्रतिमा को नहीं, बल्कि बुद्ध को प्रतिष्ठित किया गया था। उन्होंने कहा कि वास्तव में भगवान बुद्ध से कोई ईश्वर मेल नहीं खाता, राम और कृष्ण। डॉ. अम्बेडकर ने घोषणा की कि उनसे बड़ा ऋषि और नायक कोई पैदा नहीं होगा। डॉ. अम्बेडकर ने रामायण और महाभारत से कुछ दृष्टान्त प्रस्तुत किये और रामचन्द्र तथा भगवान कृष्ण की महानता पर प्रश्नचिन्ह लगाया "जिन पर महानता थोपी गयी है।' उन्होंने कहा, हिन्दू धर्म ने सत्य का दोहरा सिद्धांत प्रस्तुत किया और उस धर्मान्धता को प्रस्तुत किया, जिसने विवादों को टालने और अपनी अखण्ड प्रधानता को कायम रखने का प्रयास किया। उन्होंने पूछा, कैसे यह धर्म इन करोड़ों लोगों को प्रिय हो सकता है जिन पर निरन्तर दण्डाज्ञा की गई है। उन्होंने घोषणा की कि समय आ गया है, जब धर्म को पिता के पुत्र को प्राप्त वस्तुओं और चल सम्पत्ति की तरह वंशानुगत नहीं होना चाहिए, अपितु निजी स्वीकृति से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति द्वारा बौद्धिक रूप से जांचा–परखा जाना चाहिए'। डॉ. अम्बेडकर ने स्पष्ट किया कि समाजवादियों और कम्युनिस्टों की तरह इस बात में विश्वास नहीं करते कि धर्म अनावश्यक हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, "मैं मानता हूँ कि धर्म मानव जाति के लिए आवश्यक है। जब धर्म का अन्त होगा तो समाज भी नष्ट हो जायेगा। कोई भी सरकार मानव जाति को उतना सुरक्षित और अनुशासित नहीं रख सकती, जितना 'नीति' अथवा धर्म रख सकता है।"

धर्म परिवर्तन की घोषणा :

1935 में जब यह समाचार फैला कि डॉक्टर साहब होने वाली येवला कांफ्रेंस में धर्म परिवर्तन की एक अपूर्व घोषणा करने वाले हैं तो सारे देश में एक खलबली मच गई। इस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर साहब ने हिन्दुओं की बेतुकी और अनैतिक वर्णव्यवस्था (जात–पात) की घोर निन्दा की। उन्होंने कहा जो धर्म हमें मानवता के मूल अधिकार देने से वंचित रखता है हमारे लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम ऐसे अधर्म के साथ चिपके न रहें। अपने बारें में उन्होंने कहा कि मैं 'हिन्दू धर्म में पैदा हो गया यह मेरे अपने वश की बात नहीं थी किन्तु मैं हिन्दू रहकर मरूँगा नहीं यह अपने वश की बात है। उनकी यह प्रतिज्ञा एक प्रकार की भविष्यवाणी ही सिद्ध हुई कयोंकि अपने परिनिर्वाण से लगभग सात सप्ताह पहले अर्थात् 14 अक्टूबर 1956 का उन्होंने नागपुर में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। 1935 के धर्म परिवर्तन की घोषणा से सारे देश में अजीब सनसनी फैल गई थी। मुस्लमानों ने उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए और ईसाईयों ने ईसाई धर्म दीक्षित होने के लिए निमंत्रण दिये। कुछ दिनों के पश्चात् उन्होंने कहा कि वह इस्लाम और ईसाई धर्म की अपेक्षा सिक्ख धर्म को स्वीकार करने में प्राथमिकता देंगे। सवर्ण हिन्दुओं में काफी समय तक चर्चा होती रही। गांधी जी ने व्यंग्य भाषा में कहा कि अछूत दूसरा धर्म स्वीकार करेंगे या नहीं किन्तु डॉक्टर अम्बेडकर इस घोषणा से अवश्य प्रसिद्ध हो जायेंगे। पण्डित गोविन्द बल्लभ पन्त ने बयान दिया कि धर्म परिवर्तन करने से पूना पैक्ट रद्द हो जाएगा और अछूत सब अधिकारों से वंचित हो जायेंगे। डॉक्टर साहब ने ऐसे तमाम नेताओं की आपत्तियों का युक्ति–युक्त और मुंहतोड़ उत्तर दिया।

बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर के धार्मिक मन्तव्य :

बाबा साहब ने अपनी उच्च शिक्षा अमरीका, इंग्लैण्ड और जर्मनी में प्राप्त की थी। वह समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, कानूनशास्त्र और इतिहास शास्त्र के पण्डित थे। इतना होने पर भी उनका धर्म में अटूट विश्वास था। आजकल के युग में विश्वविद्यालय तक पहुँचने तक विद्यार्थी प्रायः धर्म को तिलांजलि दे देते हैं किन्तु इस महापुरूष में इतनी शिक्षा होने पर भी धर्म की भावना मौजूद थी। वह धर्म को मनुष्य के लिए अनिवार्य समझते थे। उनके विचार में धर्म से विहीन न तो पूर्ण व्यक्ति बन सकता है और न ही धर्म रहित समाज या सोयाइटी आदर्श रूप ग्रहण कर सकती है। प्रश्न उठता है कि वह किस प्रकार के धर्म के स्वयं अनुयायी थे और उसे मानवता के लिए अनिवार्य समझते थे। इस तथ्य को समझने के लिए पहले यह विवेचन करना जरूरी है कि उनके मत में धर्म के लक्षण या स्वरूप क्या हैं ? वह धर्म और मजहब में बड़ा भेद समझते हैं। संसार भर के प्रसिद्ध विश्वासों या मन्तव्यों को वह मजहबों धर्म की कोटि में रखते हैं और उन्हें धर्म की परिभाषा से पृथक मानते हैं। जिस धर्म को वह मानव मात्र के कल्याण का मुख्य साधन मानते हैं, वह है विशुद्ध नैतिकता ;डवतंसपजलद्ध जिसे उर्दू फारसी में इखलाक कहा गया है। इसे वे धम्म की श्रेणी में रखते हैं। धर्म और धम्म के अंतर को बाबा साहब ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ बुद्ध और उनका धम्म ;ठनककीं ॅदक भ्पे क्ीउउंद्ध में विस्तारपूर्वक समझाया है। हमें इस विषय पर इससे बढ़िया विस्तारपूर्वक विवेचना कहीं दूसरे किसी धार्मिक ग्रन्थ या पुस्तक में नहीं मिलती। हम उचित सतझते हैं कि धम्म के विषय पर उनके प्रसिद्ध ग्रन्थ से हूबहू वह उद्धरण नकल कर लिए जाएं ताकि पाठकों को भली भांति पता चल सके कि बाबा साहब की दृष्टि में धर्म और धम्म में क्या अंतर है और मानव मात्र के लिए धर्म की बजाए धम्म ही क्लयाणकारी क्यों हैं। पूर्वोक्त विचारों को मनन करते हुए हम डॉ. अम्बेडकर के धार्मिक दृष्टिकोण को भली–भांति समझ सकते है कि वह धम्म को नैतिकता का पर्यायवाची मानते है। उनके विचार में वही धम्म ग्राह्य और अनुकरणीय है जो मानवमात्र को नैतिकता की शिक्षा देता है और मानवमात्र को परस्पर समता की भूमि प्रदान करता है। जो ब्राह्म कर्म काण्ड और आडम्बरों को नैतिकता की कोटि में नहीं लाता। जो प्रज्ञा करूणा और मैत्र का पाठ पढ़ाता है। मानवमात्र ही नहीं

प्राणीमात्र से भी सहानुभूति करना सिखाता है असहाय जीवनों पर दया करना सिखाता है। उनकी इस कसौटी पर केवल भगवान बुद्ध का दिखाया धम्म का सन्मार्ग एक मात्रा ऐसा सही और निभ्रान्त सन्मार्ग है जो मानवमात्र के लिए क्लयाणकारी और सुखदायक है। इसी मार्ग को जिसे भगवान बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कहा है, उसे वह स्वयं मानते थे और अन्य लोगों को उसे अपनाने के लिए उपदेश देते थे। उनके विचार में भगवान बुद्ध द्वारा दर्शाया यह उत्तम सन्मार्ग व्यक्ति और समिष्टि, के लिए उपादेय है। इस मार्ग को अपनाने से न केवल भारतीय अदूतों का बल्कि समस्त भारत का कल्याण हो सकता है। बाबा साहब का दृढ़ विश्वास था कि आज के भयानक परमाणु और उदजन बमों की विभीषिका से मानवमात्र का छुटकारा तब तक नहीं हो सकेगा जब तक वह भगवान बुद्ध के इस मध्यम मार्ग को नहीं ग्रहण करेंगे कि स्वयं जीयो किन्तु दूसरों को भी जीने दो। इसी धम्म को उन्होंने सारे संसार के सामने 14 अक्टूबर 1956 को अपनाया और अपने अनुयायियों को इसमें दीक्षित होने के लिए प्रेरणा दी। हम निःसंदेह कह सकते है कि बाबा साहब नैतिकता के प्रचारक, प्रसारक और विस्तारक बौद्ध धम्म के अनुयायी थे और इसी धम्म को न केवल अछुतों और मावनमात्र को अपनाने की शिक्षा देते थे।

निष्कर्ष:

- डॉ. अम्बेडकर की मान्यता थी कि व्यक्ति साध्य हैं धर्म साधन है। धर्म ने व्यक्ति को नहीं अपितु व्यक्ति ने धर्म का आविष्कार किया है। इसलिए धर्म को चाहिए कि वह उसका कल्याण करे तथा उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करे ताकि वह अपनी धार्मिक समस्याओं का सरलता से हल ढूँढ सके।
- धर्म को डॉ. अम्बेडकर एक सामाजिक घटना के रूप में स्वीकार करते हैं। विश्व में ऐसा कोई समाज नहीं जिसमें रहने वाले जन किसी धर्म को नहीं मानते। वे धर्म को मनुष्य के लिए अनिवार्य मानते हैं क्योंकि धर्म मनुष्य को यथार्थ में मानव बनाता है।
- जो साम्यवादी धर्म को अफीम का नशा बताते हैं उनकी डॉअम्बेडकर आलोचना करते हैं कि बिना धर्म पालन के विश्व की अर्थव्यवस्था समानता, न्याय, स्वतंत्रता तथा बन्धुत्व का आर्विभाव नही कर सकती।
- डॉ. अम्बेडकर उस धर्म में विश्वास नहीं करते जो मानव मात्र में भेद करता है, पूजा में विश्वास करता है, व्यक्ति को ईश्वर मानता है तथा जातिवाद में विश्वास करता है।
- डॉ. अम्बेडकर धर्म को नैतिकता के रूप में स्वीकार करते है जो सारभौमिक रूप से सत्य है।
- अहिंसा का पालन, झूठ बोलने से, मद्यपान से, पर स्त्रीगमन से विरत रहने के पालन को डॉ. अम्बेडकर धर्म पालन मानते थे।
- डॉ. अम्बेडकर धर्म का आध्यात्मिक स्वास्थ्यमय मानव व्यवहार मानते हैं जो शांति एवं प्रगति को लाकर समाज का संतुलन बनाये रखता है।
- डॉ. अम्बेडकर कुशल कर्मो के पालन को धर्म स्वीकार करते हैं जिनके निष्पादन से व्यक्ति का (कर्ता) के रूप में तथा समाज का कल्याण सुनिश्चित होता है।
- डॉ. अम्बेडकर धर्म को सामाजिक कनयंत्रण का एक शक्तिशाली यंत्र तथा विधि निर्माण का महानतम स्त्रोत मानत है।
- मानव का मानव के साथ व्यवहार में समानता, स्वतंत्रता, न्याय तथा बन्धुत्व को धर्म की संज्ञा प्रदान करते हैं।
- सभी तरह की व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा प्रशासन के लिए धर्म पालन (कार्य एवं उत्तरदायित्वों को निर्वाहन) समय की पाबन्दी, कार्य में निष्ठा तथा व्यवहार में ईमानदारी को धर्म मानते है।
- जो धर्म अपने अनुयायिओं पर मानवता का व्यवहार करने अपने सधर्मियों के साथ नहीं पहुँचता तो वह धर्म नही शक्ति का प्रदर्शन है, जो धर्म को अस्पृश्य बताता है वह धर्म नहीं मानव उपहास है। जो धर्म कुंद वर्गो को शिक्षा, धन उपार्जन का निषेध रक्षा कवच न रखने को आज्ञा देता है, जो धर्म अज्ञान को अज्ञान रहने को बाध्य करता है और गरीब को और गरीब, वह धर्म नहीं वह तो मात्र दिखावा है।
- डॉ. अम्बेडकर हिन्दू वर्ण व्यवस्था को श्रम विभाजन मानने को अस्वीकृति करते हुए घोर आलोचना करते हैं क्योंकि वर्ण व्यवस्था शूद्रों को वर्ण बदलकर जीविका उपार्जन की अनुमति नही देती। वर्ण व्यवस्था जिसमें जो पैदा हुआ है उसी में जीये–मरे पर ऊपर न उठे।
- डॉ. अम्बेडकर धर्म के नाम पर किसी तरह का आडम्बर स्वीकार नही करते थे वे प्रगति के लिए चिन्तनशीलता, कर्तव्य परायणता तथा सामाजिक व्याधिकी को दूर करने के कार्यों को करने हेतु धर्म को प्रेरित मानते थे।
- डॉ. अम्बेडकर 'अत्तदीयों भव' की अवधारणा में विश्वास करते थे। उनकी मान्यता थी कि व्यक्ति की या समाज को अपनी समस्याओं को स्वयं निदान कर, हल ढूँढ कर उपचार करना चाहिए। उन्हें कोई परलौकिक शक्ति हल करने नहीं आयेगी। इस प्राकर वे भाग्यवाद के विरोधी थे।

- डॉ. अम्बेडकर को बुद्ध की उस वाणी में अत्याधिक विश्वास था कि किसी विचार को इसलिए मत मानो कि धर्म ग्रन्थों मे लिखी है अथवा अनेक लोग किसी विशेष वाणी में विश्वास करते हैं अथवा सदियों से लोग उसे मानते आ रहे हैं। उस विचार को मानो जिसके मानने से व्यक्ति का तथा समाज का कल्याण होता है।
- डॉ. अम्बेडकर की मान्यता थी कि व्यक्ति साध्य है। धर्म साधन है। धर्म ने व्यक्ति को नहीं अपितु व्यक्ति ने धर्म का आविष्कार किया है इसलिए धर्म को चाहिए कि वह उसका कल्याण करे तथा उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करे ताकि वह अपनी धार्मिक समस्याओं का सरलता से हल ढूँढ सके।

संदर्भः

- तेज सिंह, अम्बेडकरवादी साहित्य का समाजशास्त्र, किताब महल, नई दिल्ली, 2007, पृष्ठ .25
- निरंजन कुमार, मनुष्यता के आईने में दलित साहित्य का समाजशास्त्र, अनामिका पब्लिशर्ज एण्ड डिस्ट्रीटयूटर्स, नई दिल्ली, 2010, पृष्ठ 22, 23
- एस० एल० सागर, हरिजन कौन और कैसे, सागर प्रकाशन मैनपुरी, उ प्र०, 2001, पृष्ठ 14
- राजमोण शर्मा, दलित चेतना की कहानियाँ, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2008, पृष्ठ 110
- भोलानाथ तिवारी, स्त्रोत, अवधेश नारायण मित्र, उतर संस्कृति, दलित विमर्श और निराला, किशोर विद्या निकेतन, वाराणसी, 2005, पृष्ठ 24
- यशवंत रामकृष्ण दाते, महाराष्ट्र शब्दकोश, महाराष्ट्र को मण्डल लि० पुणे, 1935, पृष्ठ 1619
- चेस्टर, एल हन्ट (1960:539)ः 'सोशियोलोजी आफ रिलीजन' इन कन्टेम्परेरी सोशियोलोजी, ऐडीटेड बाई जे. एस. रॉकी पीटर, ओविन लिमिटेड, लंदन
- धनंजय कीर (1962)ः लाइफ एण्ड मिशन, पृष्ठ–209
- धनंजय कीर (1962)ः लाइफ एण्ड मिशन, पृष्ठ–210
- धनंजय कीर (1962)ः लाइफ एण्ड मिशन, पृष्ठ–211
- धनंजय कीर (1962)ः लाइफ एण्ड मिशन, पृष्ठ–212
- छः बॉम्बे क्रॉनिकल, दिनांक 16 अक्टूबर, 1935
- मांग पत्र (1938)ः औरियंटल ट्रान्सलेशन कार्यालय, सचिवालय बम्बई।